


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

ख्या 29 सन् 2020 किस्म मुकदमा प्राथक फा 1111 251 A

कुलदीप सिंह व ठोरे बनाम राजसमन्द राज्य

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>23<sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुवा अविवस्ता प्राथी उजाधित हो वस्त हेतु अवस्त चर्चे हो। अतः पत्रावली दिनांक 24.12.2020 से पेश हो।</p>	
<p>24<sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुवा अविवस्ता प्राथी उजाधित हो अविवस्ता प्राथी की वस्त कुली (अविवस्ता प्राथी) ने प्राथक पत्र में अर्जित तथ्यो को केसोते हुए अपती वस्त मे वस्तु कि तदधीनता से कुम्भलगढ़ से प्राथ रिपोर्ट प्रस्तुत अनुसूच किस्त रास्ता दर्ज करे के आदेश प्रदान कराके प्राथी द्वारा अर्जित की शीत की दुगुनी राशि मजसुम मे प्राप्त वस्त की अविवस्ता वस्त पर मन्त्र विद्या एवं पत्रावली का अवलोकन विद्या गया तदधीनता कुम्भलगढ़ से रिपोर्ट प्रस्तुत अनुसूच प्राथी कुलदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह भारती तिनारी उम्मेदवार तदधीनता अविवस्ता हाल तदधीन तिनारी जिला जेदाल के जाम कब्जोत तदधीनता कुम्भलगढ़ स्थित खोतेदागी भूमि आ.नं 1583/11 मे अर्जित-प्राथ हेतु रास्ते के लिए जाम कब्जोत की विलगात भूमि आ.नं 26 रकबा 00.16.00 बीघा मे से रकबा 00.03.10 बीघा व आ.नं 11 रकबा 05.17.00 बीघा मे से रकबा 00.14.00 भूमि की आविष्कार होने से प्रस्तावित की है उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से अधिक नहीं है।</p>	
<p>अतः तदधीनता कुम्भलगढ़ जाम विजयाया गया उक्त रास्ता प्रस्तुत स्वीकार विद्या जाता है। व प्राथी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि की D.L.C दर 3347/- रुपये से बीमत 29292/- रुपये की दुगुनी शीत 58584/- रुपये मन्त्र 0024-00-105-01-00 मे जमा करके का आदेश विद्या जाता है। प्राथी द्वारा उक्त राशि जमा करा चालान पेश करने पर उक्त रास्ता अर्जित करने का आदेश विद्या जाता है। हफ्त के आदेश जारी विद्या जायत तदधीनता कुम्भलगढ़ से प्राप्त हेतु जाता है। पत्रावली फेकल हुवा हो पर वास्तु से फत हो। निर्णय सुले न्यायालय से सुनाय गया।</p>	

आदेशिका की प्रति  
पालक  
₹ 00.00  
(अधि. 5/12/20)



उपखण्ड अधिकारी  
कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द (राज.)